संख्या-1185/2025/123/22-2-2024-17(159)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजय कुमार मौर्या पुत्र श्री शम्भूनाथ मौर्या, जनपद-मीरजापुर की सामान्य दयायाचिका आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1603/प्रोबे०-5-दया० बैठक-04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजय कुमार मौर्या पुत्र श्री शम्भूनाथ मौर्या, जो ग्राम-आराजी लाइन सुल्तानपुर पुलिस चौकी अदलपुरा, थाना-चुनार, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 23-04-2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती पूजा की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2011 में भा०द०वि० की धारा-304बी, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर के दण्डादेश दिनांक 16.12.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष, 08 माह 07 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 01 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी अजय कुमार मौर्या पुत्र शम्भूनाथ मौर्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण में समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट अनुसार बन्दी की 38 वर्ष की आयु बन्दी द्वारा दिनांक 13-08-2023 तक अपरिहार 04 वर्ष 08 माह 07 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 01 माह 16 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजय कुमार मौर्या (बन्दी संख्या-663/2022) पुत्र श्री शम्भूनाथ मौर्या, जनपद-मीरजापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1185/2025/123(1)/22-2-2024एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।